

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा. का. नि. 159(अ).- केन्द्रीय सरकार, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986(1986 का 10) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलायची (अनुज्ञापन और विपणन)(संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम, 1987 के, नियम 10 में, -

(क) उप-नियम (1) के खंड (ड) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।

(ख) उप-नियम (2) के खंड (छ) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।

[फा.सं.5/10/2016-बागान- डी]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मूल नियम संख्या सा.का.नि.116(अ), तारीख 26 फरवरी 1987 द्वारा प्रकाशित किया गया था और संख्या सा.का.नि. 816(अ) तारीख: 18 नवंबर 2014 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

G.S.R.159(E).—In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend in the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, namely :-

1. (1). These rules may be called the Cardamom (Licensing & Marketing) (Amendment) Rules, 2018.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, in rule 10,-

(a) in clause (m) of sub-rule (1), for the word "Chairman" the word "Secretary" shall be substituted.

(b) In clause (g) of sub-rule (2), for the word "Chairman" the word "Secretary" shall be substituted.

[F.No. 5/10/2016-Plant-D]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note:- The principal rules was published *vide* number GSR.116(E) dated the 26th February 1987 and last amended *vide* number GSR.816(E) dated the 18th November, 2014.